

न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक0क्र0 94/2010

संस्थित दिनांक-25.02.2010

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद चौराहा
जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

विरुद्ध

हुकुम सिंह पाल पुत्र परमालाल पाल, उम्र-29 साल
निवासी-रावगढ़, जिला-गुना (म0प्र0)

.....अभियुक्त

—:: निर्णय ::—

{आज दिनांक 30.12.16 को घोषित}

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 279, 304-ए के अंतर्गत आरोप है कि तुमने दिनांक 24.02.2010 को 04:00 बजे दिन में ग्राम सर्वा के बस स्टैण्ड (भिण्ड ग्वालियर रोड) पर अपने आधिपत्य की काले रंग की जायलो नं0 एम.पी. 08 बी.ए. 1008 उपेक्षा पूर्वक ढंग से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा बस स्टैण्ड पर खड़ी फरियादी विष्णु सिंह की पुत्री नेहा को टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की जो मानव वध की श्रेणी में नहीं आती।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि फरियादी विष्णु उर्फ गबदू निवासी सर्वा दिनांक 24.02.2010 को दिन के करीब 4 बजे अपनी बहू को बस में बैठाने के लिए वह बस स्टैण्ड पर आया था, उसके साथ लड़की नेहा भी आई थी। बस स्टैण्ड सर्वा पर खड़े थे कि एक काले रंग की गाड़ी एम0पी0 08 बी0ए0 1008 का चालक उसे बड़ी तेजी व लापरवाही से गोहद तरफ से चला कर लाया और नेहा को टक्कर मार दी, जिससे बच्ची को चोटें आई और खून बहने लगा और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। गाड़ी चालक गाड़ी को मालनपुर तरफ भगा ले गया। मौके पर महेन्द्र सिंह तथा जितेन्द्र थे, जिन्होंने घटना देखी। उक्त आशय की सूचना देहाती नालसी लेख की गई। तत्पश्चात् मृतिका का शव शवपरीक्षण हेतु भेजा गया। अपराध क्रमांक 33/10 पर संबंधित वाहन के चालक के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया, दौराने अनुसंधान नक्शामौका बनाया गया, कथन लेखबद्ध किए गए, वाहन जप्त कर जप्तीपंचनामा बनाया गया, अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया, वाहन चालक का प्रमाणिकरण लिया गया। वाद अनुसंधान अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्त को पद क्र० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। दफ़्तर की धारा 313 के अधीन परीक्षण कराए जाने पर अभियुक्त ने निर्दोष होना तथा झूठा फंसाए जाने का कथन करते हुए बलेम प्राप्त करने के लिए फंसाए जाना बताया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं -

1. क्या 24.02.2010 को दोपहर करीब 4 बजे मृतिका नेहा की वाहन दुर्घटना में मृत्यु कारित हुई थी?
2. क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान ग्राम सर्वा बस स्टैण्ड भिण्ड, ग्वालियर राजमार्ग पर अभियुक्त ने उसके आधिपत्य की जायलो कार नं० एम०पी० ०८ बी०ए० 1008 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
3. क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर अभियुक्त ने उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक चला कर बस स्टैण्ड सर्वा पर फरियादी विष्णु की पुत्री नेहा को टक्कर मार कर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती?

--:: सकारण निष्कर्ष ::--

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में विष्णु सिंह अ०सा० 1, जितेन्द्र सिंह तोमर अ०सा० 2, चन्द्रपाल सिंह अ०सा० 3, महेन्द्र सिंह अ०सा० 4, बी०एल० बंसल अ०सा० 5, डॉ. आलोक शर्मा अ०सा० 6, प्रहलाद सिंह चौहान अ०सा० 7 को परीक्षित कराया गया है, जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है।

--:: विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 का निष्कर्ष ::--

6. फरियादी विष्णु अ०सा० 1 यह कथन करते हैं कि घटना उनके साक्ष्य दिनांक 13.03.2012 के करीब दो साल पहले की है। वे उस दिन अपनी बहू को बैठाने बस स्टैण्ड पर गए हुए थे। उनके साथ उनकी लड़की नेहा भी थी। वे उस समय रोड़ पर ही खड़े थे। एक काले रंग की गाड़ी बड़ी तेजी व लापरवाही से चली आ रही थी, उसने उसकी बच्ची नेहा को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से उसके सिर में चोट आई थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। साक्षी देहाती नालसी प्र०पी० 1 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करता है। साक्षी पुलिस द्वारा मृत्यु जांच में उपस्थित होने की सूचना प्र०पी० 3 पर ए से ए भाग तथा लाश पंचनामा प्र०पी० 4 पर ए से ए भाग तथा लाश सुपुर्दगी पंचनामा प्र०पी० 5 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। साक्षी जितेन्द्र अ०सा० 2 भी अपने अभिसाक्ष्य में उनके समक्ष विष्णु सिंह की लड़की को काले रंग की चार पहिया गाड़ी द्वारा लहराकर आते हुए टक्कर मार दी व सिर में चोट आने से लड़की के खत्म हो जाने का कथन करते हैं। चन्द्रपाल सिंह अ०सा० 3 भी काले रंग की कार द्वारा बच्ची को टक्कर मार देने से मौके पर उसकी मृत्यु हो जाने का समर्थन करते हैं। महेन्द्र सिंह अ०सा० 4 भी सर्वा बस स्टैण्ड पर विष्णु सिंह व उसकी पुत्री नेहा के खड़े होने व जायलो कार द्वारा तेजी से चला कर बच्ची को टक्कर

मार देने व मौके पर ही उसकी मृत्यु हो जाने का कथन करते हैं, यह साक्षी भी शव का नक्श पंचायतनामा प्र0पी0 4 तथा उसकी सूचना प्र0पी0 3 व लाश सुपुर्दगी पंचनामा प्र0पी0 5 पर बी से बी भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं।

7. प्रकरण में डॉ. आलोक शर्मा अ0सा0 6 को अभियोजन की ओर से परीक्षित कराया गया, जो यह कथन करते हैं कि दिनांक 24.02.2010 को वे सी0एच0सी0 गोहद में मेडिकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ थे, उक्त दिनांक को डॉ0 संतोष सोनी गोहद अस्पताल में पदस्थ थे, जिसके हस्ताक्षर व लेख को वे पहिचानते हैं। यह कथन करते हैं कि उक्त दिनांक को थाना गोहद चौराहे के आरक्षक के द्वारा लाए जाने पर मृतिका नेहा तोमर का शव परीक्षण डॉ. संतोष सोनी द्वारा किया गया था, जिसके परीक्षण में मृतिका के सिर पर फ्रॉक, टी-शर्ट मौजूद थी, जिस पर खून लगा हुआ था। आंखें खुली थी व शरीर में अकड़न नहीं थी। आंतरिक परीक्षण पर शव में खून के थक्के मौजूद थे, पर्दा पशली साबुत थी, हृदय में खून भरा हुआ था, प्लीहा व गुर्दा कन्जस्टेड थे। डॉ. सोनी के बताए अनुसार मृतिका की मृत्यु सिर में आई चोट से कौमा में जाने के कारण हुई थी। मृतिका की मृत्यु 6 घण्टे के भीतर की थी। शव परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी0 10 पर डॉ. संतोष सोनी के ए स ए भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं।

8. प्र0पी0 10 का शव परीक्षण प्रतिवेदन डॉ. आलोक शर्मा द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 47 के अधीन कार्यभार के मामूली अनुक्रम में हस्तक्षेप व हस्तलिपि से परिचित व्यक्ति के रूप में प्रमाणित किया है, जो सुसंगत एवं किसी संदेह रूप में साक्ष्य का अभिलेख पर न होने से प्रमाणित है। प्र0पी0 10 का शव परीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 24.02.2010 को शाम करीब 04:45 बजे किया जाना उल्लेख है, जिससे घटना दिनांक व समय का समर्थन होता है और मृतिका नेहा की मृत्यु सिर में आई चोट के कारण कौमा में जाने से होना प्रमाणित है।

9. प्रकरण में अभियुक्त की ओर से मृतिका नेहा की मृत्यु वाहन दुर्घटना में कारित न होकर अन्यथा कठोर सतह पर गिरने के कारण संभव होने के संबंध में सुझाव अवश्य दिया है, किन्तु अभियोजन के किसी अन्य साक्षी को ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया। अतः वाहन दुर्घटना में मृतिका नेहा की मृत्यु को अभियुक्त की ओर से चुनौती नहीं दी गई है। प्रकरण में बी0एल0 बंसल अ0सा0 5 यह कथन करते हैं कि दिनांक 24.02.2010 को फरियादी विष्णु सिंह उर्फ गबदू द्वारा रिपोर्ट लिखाए जाने पर उन्होंने सर्वा बस स्टैण्ड पर देहाती नालसी प्र0पी0 1 लेख की थी, जिस पर बी से बी भाग पर उनके हस्ताक्षर तत्पश्चात् मृत्यु जांच में उपस्थित होने का आवेदन व नक्शामौका पंचायतनामा, लाश का प्र0पी0 4 बनाया था, जिन पर क्रमशः सी से सी भाग पर हस्ताक्षर होने का कथन करते हैं। इस प्रकार से अभियोजन की साक्ष्य से यह भलीभांति प्रमाणित हो जाता है कि 24.02.2010 को शाम करीब 4 बजे नेहा पुत्री विष्णु सिंह उर्फ गबदू की मृत्यु वाहन दुर्घटना में हुई थी। अब इस तथ्य का

विवेचन किया जाना है कि क्या अभियुक्त द्वारा उपेक्षा या उतावलेपनपूर्ण ढंग से वाहन को लोकमार्ग पर चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए मृतिका नेहा की ऐसी मृत्यु कारित की, जो कि आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती ?

—:: विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 व 3 का निष्कर्ष ::—

10. प्रकरण के तथ्यों एवं साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थिति में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु दोनों विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है। फरियादी विष्णु अ0सा0 1 यह कथन करते हैं कि वे अपनी बहू को बैठाने के लिए बस स्टैंड गए थे। उनके साथ उनकी लड़की नेहा थी उसी समय जब वे रोड पर खड़े थे तो एक काले रंग की गाड़ी बड़ी तेजी व लापरवाही से चली आ रही थी जिसने उनकी बच्ची नेहा को टक्कर मार दी। टक्कर से चोटें आने व उक्त चोटों से मृत्यु हो जाने के संबंध में कथन करते हैं। वाहन चालक का गाड़ी भगाकर ले जाने का कथन करते हैं। साक्षी अभिसाक्ष्य में पहले तो वाहन का कोई नंबर पता न होना बताते हैं और वाहन को कौन चला रहा था इसकी भी जानकारी न होना बताते हैं किन्तु अगले कण्डिका में यह साक्षी गाड़ी का नंबर एम0पी0-08 बी0ए0-1008 के चालक द्वारा एक्सीडेंट करना बताते हैं। फरियादी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में कथन करते हैं कि “गाड़ी का नंबर अब मुझे याद नहीं है।” जितेन्द्रसिंह अ0सा0 2 अभिसाक्ष्य में काले रंग की चार पहिया गाड़ी द्वारा लहराकर लड़की को टक्कर मार देने का कथन करते हैं। यह साक्षी मुख्य परीक्षण में गाड़ी का कोई नंबर नहीं बताता किन्तु सूचक प्रश्नों में स्वीकार करता है कि गाड़ी का नंबर एम0पी0-08 बी0ए0-1008 था। यह साक्षी प्रतिपरीक्षण में दुर्घटना करने वाले वाहन का नंबर याद न होना बताता है।

11. प्रकरण में साक्षी चन्द्रपाल अ0सा0 3 यह कथन करते हैं कि एक काले रंग की चार पहिया गाड़ी भिण्ड तरफ से तेजी व लापरवाही से आई और बच्ची को टक्कर मार दी। अपने मुख्य परीक्षण में गाड़ी का नंबर एम0पी0-08 बी0ए0-1008 होना बताता है किन्तु गाड़ी के चालक को न देख पाना और गाड़ी चालक का तुरंत घटनास्थल से भाग जाने का कथन करता है। महेन्द्रसिंह अ0सा0 4 अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि गोहद चौराहा तरफ से एक गाड़ी जायलो आई थी जिसका नंबर उसे नहीं मालूम, उक्त गाड़ी का चालक ने गाड़ी को बहुत तेजी से चलाकर बच्ची को टक्कर मार दी थी जिससे बच्ची काफी दूर जाकर गिरी और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गयी थी। मुख्य परीक्षण में एक्सीडेंट आरोपी चालक की गलती से होना बताता है। प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट करता है कि वह घटना स्थल पर अपनी दुकान पर बैठा था और गाड़ी कौन चला रहा था इसके संबंध में पता न होना बताता है। साथ ही कथित गाड़ी कौनसे रंग की थी इसके संबंध में भी जानकारी न होना बताता है।

12. प्रकरण में उपरोक्त साक्ष्य में अभिकथित वाहन जायलो एम0पी0-08 बी0ए0-1008 से दुर्घटना तेजी व लापरवाही से चलाकर कारित किए जाने के संबंध में कथन किए गए हैं। चन्द्रपाल

अ0सा0 3 द्वारा उक्त वाहन का नंबर घर पर लिख लेने से देखकर बता देने का कथन किया गया है। ऐसी कोई सारवान विरोधाभासी साक्ष्य अभिलेख पर नहीं हैं कि कथित वाहन के द्वारा दिनांक 24.02.2010 को कोई दुर्घटना कारित न हुई हो अर्थात् कथित वाहन से दुर्घटना कारित होने के संबंध में अभियोजन की साक्ष्य पर अविश्वास का कोई आधार नहीं हैं।

13. प्रकरण में अभियोजन के साक्षीगण विष्णु अ0सा0 1, जितेन्द्र अ0सा0 2, चन्द्रपाल अ0सा0 3, महेन्द्र अ0सा0 4 किसी के द्वारा अभिकथित घटना में लिप्त वाहन एम0पी0-08 बी0ए0-1008 के चालक को देख लेने या पहचानने के संबंध में कोई भी कथन नहीं किया है बल्कि घटनास्थल से अभिकथित वाहन के चालक का उसे भगा ले जाने के संबंध में कथन किया है। ऐसे में अभिकथित वाहन का चालक घटना दिनांक को अभियुक्त था अथवा नहीं इस संबंध में अभियोजन की अन्य साक्ष्य का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में अनुसंधानकर्ता बी0एल0 बंसल अ0सा0 5 यह कथन करते हैं कि उनके द्वारा देहाती नालिसी प्रपी0 1 लेख की गयी थी इसके उपरांत अनुसंधान हेतु केस डायरी उन्हें प्राप्त हुई थी। उक्त केस डायरी प्राप्त होने पर वे घटनास्थल का नक्शामौका बनाए जाने और आगे कथन करते हैं कि अभियुक्त द्वारा पेश कर ने पर उन्होंने जायलो गाडी नंबर एम0पी0-08 बी0ए0-1008 मय दस्तावेज जब्त किया था, जब्ती पत्रक प्र0पी0 7 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं।

14. प्रकरण में प्र0पी0 7 का जब्ती पत्रक यह ध्यान देने योग्य है कि घटनास्थल पर नहीं बनाया गया है, उसमें जब्ती का स्थान थाना गोहद चौक लेख है और वह घटना के एक दिन उपरांत दिनांक 25.02.10 को बनाया जाना लेख है। यद्यपि अभियुक्त की ओर से जब्ती पत्रक प्र0पी0 7 के संबंध में उसके जब्ती के तथ्य से इंकार किया है किन्तु जब्ती पत्रक प्र0पी0 7 पर हस्ताक्षरों का कोई खण्डन अभिलेख पर नहीं हैं। जब्ती पत्रक प्र0पी0 7 से अभियुक्त के आधिपत्य से अभिकथित वाहन नंबर एम0पी0-08 बी0ए0-1008 जब्त होने का तथ्य प्रमाणित अवश्य होता है किन्तु उक्त वाहन घटना दिनांक को अभियुक्त द्वारा चलाया जा रहा था, इस संबंध में कोई भी चक्षुदर्शी साक्षी अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा वाहन चलाया जा रहा था या नहीं इस संबंध में सर्वोत्तम साक्ष्य घटनास्थल पर मौजूद व्यक्तियों की हो सकती थी, किन्तु साक्षी क0 1 लगायत 4 के द्वारा वाहन चालक को न देख पाने के तथ्य अवश्य अभिलेख पर हैं।

15. बी0एल0 बंसल अ0सा0 5 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि उन्होंने वाहन स्वामी का प्रमाणीकरण प्र0पी0 9 लिया था जिस पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताते हैं। प्रकरण में साक्षी प्रहलादसिंह चौहान अ0सा0 7 के रूप में परीक्षित कराए गए जो अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि उनकी पत्नी वाहन जायलो क0 एम0पी0-08 बी0ए0-1008 की पंजीकृत स्वामी हैं।

उक्त वाहन को पुलिस ने पकड़ लिया था तब उन्होंने थाना गोहद चौराहा आकर अपनी गाड़ी की जमानत कराई थी। साक्षी उक्त गाड़ी में उस समय कागज न होने के कारण पुलिस वालों द्वारा पकड़ लिए जाने के संबंध में कथन करते हैं। यह बताते हैं कि उन्हें याद नहीं है कि दि० 24.02.10 को उक्त वाहन को कौन चला रहा था। अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही करार कर सूचक प्रश्न पूछे गए, सूचक प्रश्नों में साक्षी इस सुझाव से इंकार करता है कि अभियुक्त हुकमसिंह उक्त दिनांक 24.02.10 को सुसंगत समय 4 बजे वाहन को चला रहा था और उसने मृतिका नेहा को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित की थी। साक्षी प्र०पी० 9 के प्रमाणीकरण पर सी से सी भाग पर हस्ताक्षर तो होना बताता है किन्तु उक्त प्रमाणीकरण प्र०पी० 9 पर बी से बी भाग के तथ्यों के संबंध में इंकार करता है।

16. साक्षी प्रहलादसिंह अ०सा० 7 के अभिसाक्ष्य में यह स्पष्ट कथन किया गया है कि वे वाहन के स्वामी न होकर उनकी पत्नी वाहन की स्वामी हैं। यहां मोटरयान अधि० 1988 की सुसंगत धारा 133 का उल्लेख किया जाना समीचीन है जो उपबंधित करता है—

मोटरयान के स्वामी का जानकारी देने का कर्तव्य—“ऐसे मोटरयान का स्वामी, जिसके चालक या कण्डेक्टर इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध में अभियुक्त है, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी पुलिस अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर चालक या कण्डेक्टर का नाम और पते से तथा उसके द्वारा धारित अनुज्ञप्ति से संबंधित ऐसी सब जानकारी देगा जो उसके पास है या जिसे वह समुचित तत्परता से अभिनिश्चित कर सकता है।”

इस प्रकार से उपरोक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि मोटरयान के स्वामी का जानकारी देने का कर्तव्य है जो सुसंगत हो सकता है। परंतु प्रकरण में प्रहलादसिंह अ०सा० 7 वाहन जायलो क्रमांक एम०पी०—08 बी०ए०—1008 के पंजीकृत स्वामी नहीं हैं। साथ ही प्र०पी० 9 के दस्तावेज पर मात्र हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है और प्रतिपरीक्षण में यह कथन किया है कि अभिकथित हस्ताक्षर जब उन्होंने किए थे तब उक्त कागज पर कुछ लिखा नहीं था। इसके अतिरिक्त साक्षी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी भी नहीं हैं। ऐसे में उसकी अपुष्ट साक्ष्य के आधार पर यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है कि अभियुक्त द्वारा ही घटना दिनांक 24.02.10 को समय करीब 4 बजे उक्त वाहन को चलाया जा रहा था।

17. दाण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात् यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। न्याय दृष्टांत बर्की जोसफ बनाम केरल राज्य, एआईआर. 1993 एस.सी. 1892 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मताभिव्यक्ति की है कि सन्देह, सबूत का अनुकूल नहीं है। “सत्य

हो सकता है" और "सत्य होना चाहिए" के बीच काफी दूरी है और अभियोजन को अपना पक्ष समस्त युक्ति-युक्त सन्देह से परे साबित करने के लिए पूरा प्रयास करना होता है।

18. अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उसके द्वारा दिनांक 24.02.2010 को 04:00 बजे दिन में ग्राम सर्वा के बस स्टैण्ड (भिण्ड ग्वालियर रोड) पर अपने आधिपत्य की काले रंग की जायलो नं० एम.पी. 08 बी.ए. 1008 उपेक्षा पूर्वक ढंग से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा बस स्टैण्ड पर खड़ी फरियादी विष्णु सिंह की पुत्री नेहा को टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की जो मानव वध की श्रेणी में नहीं आती। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 457, 380 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

19. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारहीन मुक्त किए जाते हैं। धारा 437 ए दफ़्तर के अधीन प्रस्तुत जमानत निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रभावशील रहेगी।

20. प्रकरण में जब्त शुदा वाहन उसके पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर है अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि बाद बंधन मुक्त हो, अपील होने पर मान० अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

21. अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि, यदि हो तो, उसके संबंध में धारा 428 दफ़्तर का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,

हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया।

सही / -

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

सही / -

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश